

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(23)एमई/ग्रुप-1/2000

जयपुर, दिनांक : 27/6/18

आदेश

एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15172/2015 डॉ. चेतना मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.9.2017 की पालना हेतु सह आचार्य, फार्माकोलोजी पद की वर्ष 2010-11 की विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की अनुशंषाओं एवं उसके फलस्वरूप पारिणामिक पद/वर्ष की अनुशंषाओं को डॉ. चेतना मीणा के प्रकरण में राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के संबंधित नियमों के तहत गठित रिव्यू डीपीसी/डीएसीपी रिक्रनिंग समिति की बैठक दिनांक 11.5.2018 के द्वारा रिव्यू (पुनर्विलोकन) किया गया। समिति की अनुशंषा पर डॉ. चेतना मीणा को निम्नानुसार एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

- (1) विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के तहत
सह आचार्य फार्माकोलोजी पद की वर्ष 2010-11 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आचार्य से सह आचार्य फार्माकोलोजी के पद पर।
- (2) डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष
1.	डॉ. चेतना मीणा	सह आचार्य (2010-11)	आचार्य	01.4.2014	2014-15

उक्त पदोन्नति पर डॉ. चेतना मीणा का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रहेगा।

आज्ञा से,
27/6/18
(भगवत सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

महेश व्यास
(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव